मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेन्सी क्षेत्र इंदौर

राज्य वन सेवा परीक्षा - 2021

विज्ञापन क्रमांक 11/2021/22.12.2021 वन विभाग, मध्य प्रदेश शासन	राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा की तिथि 24.04.2022	ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 09.02.2022

महत्वपूर्ण

1. राज्य वन सेवा परीक्षा के लिए आवेदन कर रहे उम्मीदवार कृपया यहां नोट करें कि राज्य वन सेवा (लिखित एवं साक्षात्कार) परीक्षा के दूसरे चरण में शामिल होने के लिए उन्हें राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 में सम्मिलित होना एवं अर्ह होना अनिवार्य होगा। राज्य सेवा परीक्षा 2021 के विज्ञापन हेतु आयोग के विज्ञापन क्रमांक 10/2021, दिनांक 22.12.2021 का अवलोकन करें।
2. राज्य सेवा तथा वन सेवा परीक्षा के लिए आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार एक ही कॉमन ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं बशर्ते वे पात्रता संबंधी आवश्यक मापदण्ड पूरे करते हो।
3. आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे । आवेदन पत्र दिनांक 10.01.2022 (दोपहर 12:00) से दिनांक 09.02.2022 (रात्रि 12:00) बजे तक www.mponline.gov.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर भरे जा सकते है।
4. आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन पत्रों में दिनांक 15.01.2022 से 11.02.2022 तक त्रुटि सुधार किया जा सकेगा । इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार सत्र रु. 50 त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा । नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा ।
   आवेदक यह ध्यान रखें कि प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार मुख्य परीक्षा अथवा साक्षात्कार के स्तर पर नहीं किया जा सकेगा अतः वे प्रारंभिक परीक्षा का आवेदन-पत्र अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें । यदि फिर भी कोई त्रुटि होती है तो त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर लें । त्रुटि सुधार अवधि में श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी आवेदक द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि 250/- का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
5. ऑनलाइन आवेदन पत्रों में आवेदक द्वारा भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, आयु/जन्मतिथि, शासकीय सेवक) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है । अतः त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा तथा श्रेणी/वर्ग परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदन सरसरी तौर पर अमान्य किए जाएंगे तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा ।
6. विज्ञापन के सन्दर्भ में आवश्यक सूचनाए तथा परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in, तथा www.mppsc.com एवं रोजगार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा साथ ही अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय दिए गए Email Address तथा मोबाइल नंबर पर Email तथा SMS Alert भी प्रेषित किए जाएंगे। अतः आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पर विहित स्थान पर अपने ई-मेल पते, मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें ।
7. **अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।**
8. आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है । किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है । अतः किसी भी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यवहारिक रूप से असंभव है । अतः ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आएं और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके । सूचना देने वाले का नाम तथा पता गोपनीय रखा जाएगा ।
9. आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अर्हता, जाति प्रमाण पत्र , मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेजों को संधारित नहीं किया जाता है । साक्षात्कार के समय अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत स्वप्रमाणित दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मात्र मिलान का कार्य आयोग द्वारा किया जाता है। अंतिम चयन परिणाम मे चयनित अभ्यर्थियों एवं प्रतिक्षासूची मे नामांकित अभ्यर्थियों के दस्तावजों को चयन सूची अनुसार विभागों को प्रेषित कर दिया जाता है जिनके सत्यापन का कार्य विभाग द्वारा नियुक्ति के पूर्व किया जाता है। अतः अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जानकारी आयोग द्वारा उपलब्ध करवायी जाना संभव नहीं है। इस संदर्भ मे आयोग द्वारा किसी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं किया जाएगा तथा सूचना के अधिकार के अंतर्गत इस संदर्भ मे प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों को अंतरित किया जाएगा।
10. उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक 25181/2019 एवं इससे संबंधित अन्य याचिकाओं के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

विज्ञापन का प्रकाशन "रोजगार और निर्माण" समाचार पत्र के आगामी अंक में किया जाएगा ।

एक - भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के अन्तर्गत सहायक वन संरक्षक (Assistant Conservator of Forest) तथा वन क्षेत्रपाल (Forest Ranger) के स्थायी पदों की भर्ती संयुक्त परीक्षा द्वारा किए जाने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं । पदों की वर्गवार संख्या विभाग द्वारा प्रेषित मांगपत्र के अनुसार दर्शाई गई है :-

पद का नाम	कुल पद	रिक्तियों की वर्गवार संख्या				
		अना.	अनु.जाति	अनु. जनजाति	अ.पि.व.	EWS
सहायक वन संरक्षक	08	03	01	02	02	00
वन क्षेत्रपाल	40	05	14	14	05	02
परियोजना क्षेत्रपाल	15	05	02	03	04	01

टीप :- (1) शासन द्वारा पदों का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है किन्तु पदों की संख्या में वृद्धि केवल राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के परिणाम घोषित होने के पूर्व तक ही की जा सकेगी । पदों में वृद्धि की स्थिति में कोई अतिरिक्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किए जाएंगे तथा सभी पदों हेतु केवल वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा किया है । चयन के किसी भी स्तर पर पदों की संख्या में कमी की जा सकती है ।

(2) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम 1997 में अधिसूचना क्रमांक सी 3-10-12- एक-3, दिनांक 26 सितम्बर 2015, द्वारा महिला आरक्षण वन विभाग को छोड़कर प्रावधानित किया गया है।

(3) सहायक वन संरक्षक तथा वन क्षेत्रपाल / परियोजना क्षेत्रपाल के पदों हेतु किसी भी श्रेणी के दिव्यांगजन आवेदक आवेदन करने हेतु पात्र नहीं है । उक्त पद हेतु शारीरिक मापदंड निर्धारित है आवेदक आवेदन करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वे विज्ञापित पद हेतु निर्धारित शारीरिक मापदंड पूरा करते हैं। (देखें विज्ञापन की कंडिका-3)

दो- पद का विवरण-

(A) पद का नाम : **सहायक वन संरक्षक**

(B) विभाग का नाम : मध्यप्रदेश शासन वन विभाग

(C) श्रेणी : राजपत्रित द्वितीय श्रेणी

(D) पदस्थिति : स्थायी

(E) वेतनमान (7वें वेतनमान अनुसार) : रूपए 56,100-1,77,500/- तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे ।

(F) अर्हता :

1. शैक्षणिक

अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निम्न विषयों में से कम से कम एक के साथ विज्ञान अथवा इंजीनियरिंग में स्नातक (या समकक्ष) होना चाहिए :- प्राकृतिक विज्ञान (भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणि शास्त्र) गणित, सांख्यिकी, भू-विज्ञान, कृषि, पर्यावरण विज्ञान, वानिकी, उद्यानिकी, पशु चिकित्सा विज्ञान (वैटिनरी साइंस), कम्प्यूटर एप्लीकेशन/साइंस, इंजीनियरिंग (कृषि/ रसायन/ सिविल / कम्प्यूटर/ इलेक्ट्रिकल /इलेक्ट्रानिक्स /मैकेनिकल) में स्नातक उपाधि धारण करता हो, या समतुल्य विदेशी अर्हता धारण करता हो, परन्तु विशुद्ध गणित या सांख्यिकी के साथ स्नातक की दशा में उसने हायर सेकेन्ड्री/ मेट्रीकुलेशन या समतुल्य परीक्षा में निम्नलिखित विषयों में से कोई एक विषय लिया हो:-

1. जीव विज्ञान
2. भौतिक शास्त्र
3. रसायन शास्त्र

2. प्रशिक्षण

दो वर्ष की पत्रोपाधि लेने हेतु वन महाविद्यालय देहरादून अथवा शासन द्वारा निर्धारित उसके समकक्ष भारतवर्ष के किसी भी अन्य प्रशिक्षण, वन विद्यालय से प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा दो वर्ष का प्रशिक्षण विभाग में प्राप्त करना होगा एवं नियमानुसार विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी ।

3. शारीरिक मापदण्ड एवं क्षमता परीक्षण -

बिन्दु तीन में उल्लेखित शारीरिक मापदण्ड तथा शारीरिक क्षमता परीक्षण के प्रावधानों को पूर्ण करना होगा ।

(G) कर्तव्य : वानिकी संबंधी समस्त कार्य ।

(A) पद का नाम **वन क्षेत्रपाल / परियोजना क्षेत्रपाल**

(B) विभाग का नाम मध्यप्रदेश शासन वन विभाग

(C) श्रेणी राजपत्रित द्वितीय श्रेणी

(D) पदस्थिति स्थायी

(E) वेतनमान रूपए 36200-114800 /- तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे ।

(F) अर्हता : 1. शैक्षणिक

उम्मीदवार के पास भारत में मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान/ यांत्रिकी/ कृषि/वानिकी में स्नातक उपाधि अथवा समतुल्य विदेशी अर्हता होनी चाहिए तथा (2) उसने स्नातक उपाधि में निम्नलिखित में से कम से कम एक विषय लिया हो:-

भौतिक शास्त्र/ रसायन शास्त्र / प्राणी शास्त्र / वनस्पति शास्त्र / भू-गर्भ शास्त्र /गणित / सांख्यिकी / वानिकी / कृषि / उद्यानिकी / यांत्रिकी (सिविल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल / केमिकल / इलेक्ट्रॉनिक्स /कंम्प्यूटर)

2. प्रशिक्षण

18 माह की प्रशिक्षण अवधि होगी। प्रशिक्षण भारतवर्ष के किसी भी वन क्षेत्रपाल महाविद्यालय में प्राप्त करना होगा ।

3. शारीरिक

बिन्दु तीन में उल्लेखित शारीरिक मापदण्ड तथा शारीरिक क्षमता परीक्षण के प्रावधानों को पूर्ण करना होगा ।

(G) कर्तव्य : वनों का प्रबंधन, विकास एवं सुरक्षा ।

(A) पद का नाम **परियोजना क्षेत्रपाल**

(B) विभाग का नाम मध्यप्रदेश शासन वन विभाग

(C) श्रेणी राजपत्रित तृतीय श्रेणी

(D) पदस्थिति स्थायी

(E) वेतनमान रूपए **9300-34800 +3600** /- तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे ।

(F) अर्हता : 1. शैक्षणिक

उम्मीदवार के पास भारत में मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान/ यांत्रिकी/ कृषि/वानिकी में स्नातक उपाधि अथवा समतुल्य विदेशी अर्हता होनी चाहिए तथा (2) उसने स्नातक उपाधि में निम्नलिखित में से कम से कम एक विषय लिया हो:-

भौतिक शास्त्र/ रसायन शास्त्र / प्राणी शास्त्र / वनस्पति शास्त्र / भू-गर्भ शास्त्र /गणित / सांख्यिकी / वानिकी / कृषि / उद्यानिकी / यांत्रिकी (सिविल/मैकेनिकल/ इलेक्ट्रिकल / केमिकल / इलेक्ट्रॉनिक्स /कंम्प्यूटर)

2. प्रशिक्षण

18 माह की प्रशिक्षण अवधि होगी। प्रशिक्षण भारतवर्ष के किसी भी वन क्षेत्रपाल महाविद्यालय में प्राप्त करना होगा ।

3. शारीरिक

बिन्दु तीन में उल्लेखित शारीरिक मापदण्ड तथा शारीरिक क्षमता परीक्षण के प्रावधानों को पूर्ण करना होगा ।

(G) कर्तव्य : वनों का प्रबंधन, विकास एवं सुरक्षा ।

टीप- उपर्युक्त पदों के लिए आवेदक के पास निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएं, राज्य वन सेवा (मुख्य) परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक होना चाहिए । इसके पश्चात किसी भी दिनांक को उक्त अर्हताएं अर्जित करने वाले आवेदक उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए विचारित होने की पात्रता नहीं रखेंगे। परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित किए जाने का अर्थ यह कदापि नहीं है कि आवेदक को पद के योग्य मान लिया गया है । चयन प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर अयोग्य

पाए जाने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी ।

तीन- शारीरिक मापदंड

	पुरुष	महिला
1. ऊंचाई अनारक्षित,अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग	163 से.मी.	150 से.मी.
2. ऊंचाई अनुसूचित जनजाति	152 से.मी.	145 से.मी.
3. सीने की परिधि	79 से.मी.	74 से.मी.
• न्यूनतम विस्तार	5 से.मी.	5 से.मी.
• पूर्ण विस्तारित	84 से.मी.	79 से.मी.
4. शारीरिक क्षमता परीक्षण चार घंटे पैदल चलना	25 कि.मी.	सहायक वन संरक्षक हेतु : 14 कि.मी. वन क्षेत्रपाल / परियोजना क्षेत्रपाल हेतु : 16 कि.मी.

टीप- (1) चिकित्सा मंडल द्वारा उम्मीदवारों की ऊंचाई एवं सीने के मापदंड लिए जाएंगे तथा उम्मीदवारों की श्रवण शक्ति, दृष्टि एवं वन विभाग में बाह्य सेवा (आउट डोर वर्क) हेतु न्यूनतम शारीरिक मापदंड का परीक्षण किया जाएगा।

(2) शारीरिक क्षमता परीक्षण राज्य शासन द्वारा किया जाएगा ।

(3) जो अभ्यर्थी शारीरिक मापदण्ड को पूरा करने मे अथवा शारीरिक क्षमता परीक्षण अथवा मेडिकल परीक्षण मे असफल होते हैं, उनका चयन शासन द्वारा निरस्त किया जा सकेगा।

चार- (1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित पद केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित है। अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे आवेदक जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य है आरक्षण हेतु पात्र नहीं हैं। उन्हें अनारक्षित पदों हेतु विचारित किया जाएगा ।

(2) मध्यप्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार अपना वर्ग अनारक्षित लिखें ।

पांच- मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अन्तर्गत अनर्हता -

(अ) कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु जहां किसी उम्मीदवार के विरूद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा ।

(ब) कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।

परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा ।

छ- आयु सीमा-

- **सहायक वन संरक्षक हेतु** - 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की हो।
- **वन क्षेत्रपाल / परियोजना क्षेत्रपाल हेतु** - 21 की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 33 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की हो ।

आयु संगणना तिथि 01.01.2022 होगी ।

आयु सीमा में दी गई अन्य छूटों के लिए **परिशिष्ट - 1** देखें ।

सात- महत्वपूर्ण - यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अत: आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें । परीक्षा में सम्मिलित किए जाने या साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है । चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाए जाने पर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर आवेदक की उम्मीदवारी समाप्त की जाएगी ।

आठ- अधिवार्षिकी आयु - 62 वर्ष

नौ- परिवीक्षा- सहायक वन संरक्षक तथा वन क्षेत्रपाल के पदों पर आवेदकों की नियुक्ति 02 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी ।

दस- अनुबंध निष्पादन- चयनित उम्मीदवार को प्रशिक्षण संस्थान में जाने से पूर्व विभाग द्वारा निर्धारित अनुबंध निष्पादित करना होगा-

1 चयनित अधिकारी बीच में प्रशिक्षण छोड़ता है तो प्रशिक्षण पर होने वाला समस्त व्यय चयनित अधिकारी को राज्य सरकार को देना होगा ।

2 प्रशिक्षण उपरांत विभाग में सहायक वन संरक्षक एवं वन क्षेत्रपाल के पद पर नियुक्ति प्राप्त हो जाने पर चयनित अधिकारी को विभाग में 5 वर्ष सेवा करना अनिवार्य होगा ।

ग्यारह- चयन प्रक्रिया-

चयन प्रक्रिया के पांच क्रमिक चरण होंगे -

(अ) राज्य वन सेवा (मुख्य परीक्षा) के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु राज्य सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार ओ.एम.आर. शीट आधारित)

(ब) राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार से ऑनलाइन परीक्षा पद्धति द्वारा)

(स) साक्षात्कार- लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश द्वारा ।

(द) शारीरिक मापदण्ड तथा शारीरिक क्षमता का परीक्षण-राज्य शासन द्वारा (पुरुष आवेदकों को 25 कि.मी. की दूरी चार घंटे में पैदल चलकर तथा महिला आवेदकों को सहायक वन संरक्षक हेतु 14 कि.मी. तथा वन क्षेत्रपाल / परियोजना क्षेत्रपाल हेतु 16 कि.मी. की दूरी चार घंटे में पैदल चलकर तय करनी होगी।)

(इ) स्वास्थ्य परीक्षण- मध्यप्रदेश शासन के चिकित्सा मंडल द्वारा ।

(फ) परीक्षा योजना -

<u>प्रारंभिक परीक्षा</u>- राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2021 ही राज्य वन सेवा परीक्षा-2021 हेतु आयोजित अर्हकारी परीक्षा होगी। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के (बहुविकल्पीय प्रश्न) दो प्रश्न पत्र होंगे । राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में गुणानुक्रम सूची केवल प्रथम प्रश्न पत्र के प्राप्तांकों के आधार पर बनाई जाती है तथा द्वितीय प्रश्न पत्र में अनारक्षित श्रेणी में 40 प्रतिशत अनुसूचित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होता है । किन्तु राज्य वन सेवा परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की गुणानुक्रम सूची बनाते समय प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न पत्र दोनों में ही प्राप्त अंकों के योग के आधार पर गुणानुक्रम सूची वर्गवार, श्रेणीवार बनाई जाएगी । क्योंकि राज्य वन सेवा परीक्षा हेतु केवल विज्ञान संकाय के अभ्यर्थी ही पात्र है । प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम अनारक्षित 40 प्रतिशत अंक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 30 प्रतिशत अंक लाना आवश्यक होगा । यह परीक्षा केवल छानबीन परीक्षण के रूप में ली जाएगी । इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु योग्य/अर्ह घोषित किया जाएगा । अंतिम चयन सूची केवल मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्मित की जाएगी । प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर कुल रिक्त स्थानों के 20 गुना अभ्यर्थियों को राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा हेतु अर्ह घोषित किया जावेगा । **<u>Negative Marking</u>** नहीं होगी ।

मुख्य परीक्षा :-

प्रारंभिक परीक्षा में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों हेतु राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी । यह परीक्षा एक प्रशन पत्र की होगी जिसके दो खण्ड "अ" तथा "ब" होंगे तथा परीक्षा ऑनलाइन पद्धति से ली जाएगी। मुख्य परीक्षा की परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम इस विज्ञापन के साथ ही आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर प्रकाशित किया जा रहा है।

परीक्षा परिणामों के संदर्भ में आवश्यक निर्देश :-

प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा उपरांत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की पेपर सेटर/ मॉडरेटर द्वारा तैयार प्रावधिक उत्तर-कुंजी आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर प्रकाशित कर ऑनलाइन पद्धति से 07 दिवस की अवधि में आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी । इस अवधि के पश्चात प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा । प्रति प्रश्न आपत्ति हेतु 100 रुपए शुल्क देय होगा तथा प्रति सत्र पोर्टल शुल्क (रूपए 40/-) पृथक से देय होगा। आपत्ति सही पायी जाने पर आपत्ति शुल्क वापस किया जाएगा किन्तु पोर्टल शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जाएगा। समिति द्वारा आपत्तियों पर विचार कर निम्नलिखित अनुसार कार्यवाही की जाएगी :-

1. ऐसे प्रश्न जिनका प्रावधिक उत्तर-कुंजी में दिए गए विकल्पों मे से गलत उत्तर दिया गया है और विकल्पों मे अन्य विकल्प सही है तब प्रावधिक उत्तर-कुंजी को संशोधित किया जाएगा।
2. प्रश्न के हिन्दी तथा अँग्रेजी अनुवाद मे भिन्नता की स्थिति मे केवल हिन्दी अनुवाद ही मान्य होगा ।
3. ऐसे प्रश्न जिसका दिए गए विकल्पों में एक से अधिक सही उत्तर हैं, सभी सही उत्तरों को मान्य किया जाऐगा।
4. ऐसे प्रश्न जिसका दिए गए विकल्पों में एक भी सही उत्तर न हो को प्रश्नपत्र से विलोपित किया जाएगा।
5. विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा समस्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात अंतिम उत्तर कुंजी बनाई जाएगी तथा आयोग द्वारा वेबसाइट www.mppsc.nic.in www.mppsc.com पर प्रकाशित की जाएगी । अंतिम उत्तर-कुंजी के प्रकाशन के पश्चात कोई भी आपत्ति/ पत्र-व्यवहार मान्य नहीं किया जाऐगा। विषय विशेषज्ञ समिति का निर्णय अंतिम होगा।
6. **उपरोक्तानुसार समिति द्वारा विलोपित किए गए प्रश्नों को छोड़कर शेष प्रश्नों के आधार पर अंतिम उत्तर कुंजी के अनुसार अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा।**

मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न प्रवर्गो हेतु विज्ञापित पदों की संख्या के 3 गुने तथा अंतिम चयनित आवेदक के समान अंक पाने वाले आवेदक साक्षात्कार के लिए अर्ह घोषित किए जाएंगे । सहायक वन संरक्षक एवं वन क्षेत्रपाल हेतु मुख्य परीक्षा में अर्ह आवेदकों की दो पृथक गुणानुक्रम सूची बनाई जाएगी तथा दोनों पदों हेतु अर्ह आवेदक दोनों ही सूची में सम्मिलित रहेंगे ।

बारह- चयन विधि

(1) आवेदक सहायक वन संरक्षक तथा वन क्षेत्रपाल में से किसी एक पद के लिए अथवा दोनों पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे । आवेदक इस विज्ञापन में दर्शित अर्हता का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर यह सुनिश्चित कर लें कि वे पद हेतु निर्धारित अर्हता धारित करते हैं, तत्पश्चात ही आवेदन करें। 6

(2) मुख्य परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन पत्र में पद चयन हेतु तीन विकल्प है (A) सहायक वन संरक्षक हेतु (B) वन क्षेत्रपाल हेतु तथा (C) दोनों पदों हेतु । दोनों पदों हेतु वे आवेदक ही आवेदन करें जो दोनों पदों हेतु निर्धारित अर्हता धारित करते हों ।

(3) राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के पंद्रह गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु अर्ह घोषित किया जाएगा । समान रूप से मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर तीन गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु अर्ह घोषित किया जाएगा । **इस हेतु सहायक वन संरक्षक तथा वन क्षेत्रपाल / परियोजना क्षेत्रपाल हेतु पृथक-पृथक गुणानुक्रम सूची वर्गवार, श्रेणीवार बनाई जाएगी ।**

(4) साक्षात्कार के पश्चात अंतिम मेरिट सूची A+C (सहायक वन संरक्षक) B+C (वन क्षेत्रपाल / परियोजना क्षेत्रपाल) के आधार पर बनाई जाएगी । A+C (सहायक वन संरक्षक) का चयन परिणाम बनाने के बाद उसमें चयन हेतु सफल उम्मीदवारों के अतिरिक्त C श्रेणी के जो आवेदक होंगे वे वन क्षेत्रपाल के पद हेतु भी विचारित किए जाएंगे ।

तेरह- महत्वपूर्ण :-

- आयोग में परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन एवं पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी ।
- चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।

चौदह- आवेदन प्रक्रिया - उक्त पद हेतु आवेदन पत्र मात्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे । ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु **परिशिष्ट-दो** का अवलोकन करें ।

पंद्रह- प्रवेश पत्र प्राप्ति प्रक्रिया - अभ्यर्थियों को परीक्षा के 10 दिन पूर्व से परीक्षा शहर की जानकारी E-mail/ SMS द्वारा तथा परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र दिनांक 15.04.2022 से (रात्रि 12:00 बजे) तक www.mponline.gov.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर डाउनलोड हेतु उपलब्ध रहेगें। अर्हताधारी आवेदक अपने प्रवेश-पत्र उक्त वेबसाइटों से डाउनलोड कर सकेंगे । पृथक से प्रवेश पत्र नहीं भेजे जाएंगे । प्रवेश पत्र डाउनलोड करने हेतु आवेदक को वेबसाइट में विहित स्थान पर उसके आवेदन पत्र क्रमांक तथा जन्म तिथि की प्रविष्टि करनी होगी । एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से प्रवेश पत्र प्राप्ति हेतु 5 रूपए पोर्टल शुल्क देय होगा।

सोलह- **अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अंकित वर्तमान ई-मेल आई.डी पर ही आयोग द्वारा आवश्यक पत्र-व्यवहार किया जाएगा। अभ्यर्थी के ई-मेल आई डी. में परिवर्तन की दशा में अभ्यर्थी को तत्काल नए ई-मेल आई. डी. की सूचना आयोग को आवश्यक पत्र व्यवहार हेतु लिखित में देनी होगी । अभ्यर्थी द्वारा ई-मेल आई. डी. परिवर्तन की स्थिति में नए ई-मेल आई. डी. की सूचना न देने पर आवश्यक पत्र-व्यवहार पुराने ई-मेल आई. डी. पर ही किया जाएगा जिसके फलस्वरूप आवेदक को सूचना प्राप्त न होने की स्थिति हेतु अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा इस संदर्भ में आवेदक का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा । आवेदक अपने वर्तमान डाक पते में परिवर्तन के संबंध में भी आयोग को तत्काल लिखित में सूचना प्रेषित करें ।**

सत्रह- राज्य वन सेवा परीक्षा 2021, **राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015** (यथा संशोधित सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-6-4-2015-एक(1), दिनांक 20.12.2021) के अनुसार आयोजित की जाएगी । उक्त नियम आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर प्रकाशित किए गए हैं।

अठारह- **कोविड-19 के संदर्भ मे अभ्यर्थियों द्वारा केन्द्र तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।**

उन्नीस- अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें -

(1) आयु सीमा की छूटें परिशिष्ट - एक

(2) आवेदन पत्र भरने तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां परिशिष्ट - दो

(3) आप्टिकल स्कैनर द्वारा पढ़ी जाने वाली ओ.एम.आर. शीट के उपयोग संबंधी निर्देश तथा अन्य अनुदेश हेतु राज्य सेवा परीक्षा 2021 के परिशिष्ट-"तीन" का अवलोकन करें

(4) प्रारंभिक परीक्षा की योजना तथा पाठ्यक्रम राज्य सेवा परीक्षा 2021 के विज्ञापन के साथ तथा मुख्य परीक्षा की परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम इस विज्ञापन के साथ आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर प्रकाशित किए जा रहे हैं।

सचिव

परिशिष्ट -एक

आयु सीमा में छूट

(01) **वन क्षेत्रपाल / परियोजना क्षेत्रपाल हेतु -**

मध्य प्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-14/2019/एक/3, दिनांक 19 दिसंबर 2019 के अनुसार महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग), पुरुष/ महिला आवेदक (अनु.जा./ अनु.ज.जा./ अन्य पिछड़ा वर्ग/ शासकीय/ निगम/ मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी तथा उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी ।

सहायक वन संरक्षक हेतु -

मध्य प्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-8/2016/1/3, दिनांक 24 जुलाई 2019 के अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ शासकीय/ निगम/ मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/ नगर सैनिक/ दिव्यांगजन/ महिलाओं (अनारक्षित/ आरक्षित) आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी तथा उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रहेगी ।

(02) भूतपूर्व सैनिकों को उनके द्वारा की गई सेवा के आधार पर अधिकतम 03 वर्ष की छूट होगी जो कि अधिकतम आयुसीमा 45 वर्ष के अध्यधीन होगी ।

स्पष्टीकरण -

(1) भूतपूर्व सैनिक से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985" के नियम 2 (ग) में अद्यतन संशोधन द्वारा यथा परिभाषित भूतपूर्व सैनिक।

(2) ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को जो सैनिक सेवा में है उन्हें भूतपूर्व सैनिक का लाभ नहीं दिया जाएगा । भूतपूर्व सैनिक को ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व सेना से डिस्चार्ज होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(03) **प्रोत्साहन स्वरूप देय छूट :-**

(01) अधिकतम 5 वर्ष तकः- यदि अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा प्रायोजित अन्तर्जातीय विवाह योजना के अधीन पुरस्कार प्राप्त सवर्ण पार्टनर हो;

(02) अधिकतम 5 वर्ष तकः- यदि अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/8/85/ 3/1, दिनांक 3 सितम्बर, 1985 के अनुसार "विक्रम अवार्ड" से सम्मानित खिलाड़ी होः

परन्तु उक्त शिथिलीकरण के मामले में अभ्यर्थी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात अधिकतम लाभ वाली किसी एक छूट का ही हकदार होगा।

टिप्पणी:-

(1) समस्त छूटों को सम्मिलित करते हुए किसी भी स्थिति में, किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विहित अधिकतम आयु सीमा (45 वर्ष) से अधिक नहीं होगी।अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 45 वर्ष या अधिक होगी वे सहायक वन संरक्षक के पद हेतु आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे। वन क्षेत्रपाल के पद हेतु यह आयु सीमा 38 वर्ष होगी।

(3) आरक्षण तथा आयु सीमा में छूट के समस्त लाभ केवल मध्यप्रदेश राज्य के सन्दर्भ में उपलब्ध होंगे, अतएव अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) को देय आरक्षण तथा आयु सीमा में छूट तथा अन्य लाभ केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को अनुज्ञेय होंगे। अन्य राज्यों के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के रूप में माने जाएंगे।

(4) अभ्यर्थी को शासकीय सेवक के तौर पर आयु सीमा मे छूट तभी प्रदाय की जाएगी जब वह प्रारंभिक परीक्षा से साक्षात्कार तक निरंतर शासकीय सेवक हो।

(छ:) उक्त उपबंध, इस संबंध में पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं/परिपत्रों के अधिक्रमण में है।

उक्त रियायतों के सिवाय आयु सीमा में कोई भी अन्य छूट अनुज्ञेय नहीं होगी। अभ्यर्थियों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आयोग केवल वही जन्म तिथि स्वीकार करेगा जो मैट्रिक या उच्चतर माध्यमिक शाला परीक्षा प्रमाण पत्र में या उसके समकक्ष समझी गई परीक्षा के प्रमाण पत्र में अभिलिखित की गई हो। मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ साथ हाई स्कूल/हायर सेकण्डरी के प्रमाण पत्र/अंक सूची जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो अनिवार्य रूप से अपलोड की जाना चाहिए, इसमें असफल रहने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। आयु से संबंधित अन्य दस्तावेज जैसे जन्मपत्री, शपथ पत्र, नगर निगम सेवा अभिलेखों इत्यादि से लिए गए जन्म संबंधी उद्धरण और इसी प्रकार के अन्य दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन पत्र में उक्त प्रक्रिया के अनुसार एक बार जन्म तिथि सत्यापित होने तथा अभिलिखित हो जाने के बाद इसमें परिवर्तन के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा तथा

सभी अभ्यावदेन अमान्य होंगे। प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र में दी गई जानकारियों में विसंगतियां पाई जाने पर आवेदन अस्वीकृत किया जा सकेगा।

<u>परिशिष्ट- दो</u>

राज्य वन सेवा परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1. **राज्य वन सेवा परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार हैः-**

   1. ऑनलाइन आवेदन पत्र वेबसाइट पर www.mponline.gov.in, www.mppsc.com, www.mppsc.nic.in पर ऑनलाइन उपलब्ध है। आवेदक MPonline के स्थापित अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से ऑनलाइन फार्म भर कर कियोस्क पर ही परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर रसीद प्राप्त कर सकते हैं।
   2. उपरोक्त व्यवस्था के अतिरिक्त आवेदक निम्न माध्यमों से भी शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:-
      1. स्वयं अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन पत्र भर कर परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड (Master card/VISA/Maestro अथवा Rupay) के माध्यम से कर सकते हैं।
      2. ऑनलाइन आवेदन पत्र भर कर परीक्षा शुल्क का भुगतान किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं ।
   3. MPonline के अधिकृत कियोस्कों की सूची www.mponline.gov.in पर पता एवं फोन नंबर सहित उपलब्ध है।
   4. आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पूर्व अपने अद्यतन पासपोर्ट साइज की फोटो ग्राफ तथा हस्ताक्षर की स्केन फाइल तैयार रखें जिसे उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा। www.mponline.gov.in के KIOSK पर स्कैनिंग की नि: शुल्क सुविधा उपलब्ध है जिसका उपयोग किया जा सकता है।
   5. **ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अभ्यर्थी उक्त वेबसाइट पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में वही नाम/उपनाम/जन्म तिथि को उल्लेखित करे जो उनकी हाई स्कूल की अंकसूची में उल्लेखित है। यदि अभ्यर्थी द्वारा नाम परिवर्तन करवाया गया है तब भी ऑनलाइन आवेदन पत्र में हाई स्कूल की अंकसूची में उल्लेखित उक्त विवरण ही मान्य होंगे।**
   6. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी में दिए गए निर्धारित स्थान पर सही पूर्णांक, प्राप्तांक, उत्तीर्ण करने का वर्ष, औसत प्रतिशत एवं अन्य जानकारी जो ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गयी है को सही रूप से अंकित करें।
   7. आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित की जा रही है वही प्रमाणिक जानकारी है अतः ऑनलाइन आवेदन पत्र Submit करने के पूर्व आवेदक अपना आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भलीभाँति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गई जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन Submit करें।
   8. आवेदन पत्र submit करने के बाद खुलने वाले pop up window में आवेदक को उसके द्वारा आवेदन पत्र में उल्लिखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात् <u>उसका नाम, माता-पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी, लिंग, आधार कार्ड आदि की जानकारी दी जाएगी</u> जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी Cancel बटन दबाकर पुन: फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगे। Pop up window में OK बटन दबाकर फार्म सबमिट करने पर आवेदन पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमे उसके आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा ।

      अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन पत्र submit होने के बाद "proceed to payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन पत्र प्राप्त होगा जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टत: उल्लेखित होगा। आवेदक उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख करें। आवेदक उक्त आवेदन पत्र क्रमांक तथा जन्म तिथि का प्रयोग कर प्रवेश पत्र डाऊनलोड कर सकेंगे।
   9. **त्रुटि सुधार सुविधा :-** आवेदक अपना आवेदन पत्र सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन पत्र में कोई त्रुटि होने पर दिनांक 15.01.2022 से 11.02.2022 तक प्रति त्रुटि सुधार सत्र रु. 50/- शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा स्वयं अथवा कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा। एक से अधिक आवेदन पत्र की स्थिति में अतिरिक्त आवेदन पत्रों हेतु जमा शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

      ऑनलाइन आवेदन पत्रों में भरी गयी श्रेणी/ वर्ग (अनारक्षित/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/ शासकीय सेवक/ नि:शक्तजन) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है । अत: त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद श्रेणी/ वर्ग परिवर्तन विषयक कोई भी पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा ।
   10. आवेदक उक्त आवेदन पत्र को सुरक्षित रखें. आवेदन पत्र में अंकित आवेदन पत्र क्रमांक व जन्म दिनांक की प्रविष्टि कर इंटरनेट

के माध्यम से वे प्रवेश पत्र डाउनलोड कर प्रिंट आउट ले सकेंगे ।

11. <u>अत्यावश्यक</u> :-

यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में वर्टिकल श्रेणी (अना./ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग) गलत भरी गयी है तो उसे अनारक्षित (ओपन) के कट ऑफ मार्क्स के अंतर्गत आने पर अनारक्षित (ओपन) श्रेणी में उम्मीदवारी मान्य होगी और यदि होरीजोंटल आरक्षण (महिला/ भूतपूर्व सैनिक/ नि:शक्तजन) में गलत श्रेणी भरी है तो उसी वर्ग के ओपेन के कट ऑफ मार्क्स के अंतर्गत आने पर उस वर्ग के ओपन में उम्मीदवारी मान्य की जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए निर्देश और विधि :-

1. कृपया आवेदन पत्र भरने से पहले विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें। आवेदन पत्र दिनांक **10.01.2022** को दोपहर 12.00 बजे से दिनांक **09.02.2022** को रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाइन भरे जा सकते हैं।
2. आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक 15.01.2022 को दोपहर 12.00 बजे से दिनांक 11.02.2022 को रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाइनकिया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार सत्र रु.50/- त्रुटि सुधार शुल्क के भुगतान के पश्चात आवेदन पत्र में वांछित सुधार किया जा सकेगा।
3. श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी आवेदक द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग करने की मांग की जाती है तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि रु. 250/- का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
4. <u>आवेदन एवं परीक्षा शुल्कः-</u>

मप्र के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन एवं परीक्षा शुल्क	शेष सभी श्रेणी एवं मध्य प्रदेश से बाहर के निवासी अभ्यर्थियों के लिए आवेदन एवं परीक्षा शुल्क
रु. 250/-	**रु. 500/-**
सभी श्रेणी के आवेदकों को उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क रु. **40/-** (सेवाकर सहित) अतिरिक्त देय होगा। जो अभ्यर्थी राज्य सेवा तथा वन सेवा दोनों हेतु आवेदन करेंगे उन्हें भी उपरोक्त अनुसार ही शुल्क एक बार ही देना होगा।	

टीप :-	1.	प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के बाद आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन माड्यूल की सहायता से रु. 50/- शुल्क का भुगतान कर अभ्यर्थी उनकी OMR शीट Download कर सकेंगें।
	2.	सूचना के अधिकार के तहत प्रारंभिक परीक्षा की OMR शीट की फोटोकॉपी प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने के पश्चात प्रदान की जाएगी किन्तु राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के संदर्भ में ऑनलाइन परीक्षा संबंधी व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा के संबंध में जानकारी हेतु परिशिष्ट- चार देखें।
	3.	प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान अलग से करना होगा

आवेदन एवं परीक्षा शुल्क एवं पोर्टल के शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य कोई राशि का भुगतान नहीं करना है। यदि कियोस्क धारक द्वारा अतिरिक्त राशि की माँग की जाती है तो एमपी ऑनलाइन के निम्नांकित दूरभाष नंबरों पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

हेल्पलाइन - 0755-6720210 तथा 0755-6720211

किसी भी स्थिति में आयोग को भुगतान किए गए शुल्क की वापसी के किसी भी दावे पर न तो विचार किया जाएगा और ना ही शुल्क को किसी अन्य परीक्षा/चयन के लिए आरक्षित रखा जा सकेगा।

5. <u>ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारीः-</u>

मप्र लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित **राज्य वन सेवा परीक्षा 2021** के लिए आवेदन पत्र वेबसाइट **https://www.mponline.gov.in, www.mppsc.nic.in** एवं **www.mppsc.com** पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं। आवेदक परीक्षा फार्म ऑनलाइन भरकर परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान मध्यप्रदेश राज्य के जिला, तहसील एवं ब्लाक एवं कुछ ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से किया जा सकता है। एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्कों की सूची के लिए **https://www.mponline.gov.in** पर **locateKiosk/CSCsLink** देखें। **आवेदक हेल्पलाइन - 0755-4019400** से भी एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की जानकारी प्राप्त कर सकता है।

6. **प्रारंभिक परीक्षा दिनांकः- 24.04.2022**

7. इंटरनेट कैफे या स्वयं घर बैठे कम्प्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आवेदन फार्म / परीक्षा शुल्क भरने की विधिः-
आवेदक **https://www.mponline.gov.in** वेबसाइट के माध्यम से होम पेज पर **CitizenServices**पर क्लिक करें इसके उपरांत Application लिंक पर जाकर MPPSC M.P. Public Service Commission बटन को क्लिक करें। अब उसे यहां निम्नानुसार आप्शन दिखाई देंगे।

Click here to Apply

Pay for unpaid Application/DuplicateReceipt

Click here to Edit

Download Admit Card Duplicate Receipt/ View Application Status

Click Here to View Advertisement

आवेदक फार्म भरने से पहले Click here to View Advertisement को क्लिक कर मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तो को अच्छी तरह पढ़ लें। इसके उपरांत ही आवेदक Click here to Apply को क्लिक करें। इसके उपरांत आवेदक को स्क्रीन पर फार्म दिखाई देगा। आवेदक को फार्म में मांगी गई समस्त जानकारियां को सही-सही भरना अनिवार्य है। आवेदक को फार्म पृष्ठ पर नीचे की ओर एक बटन Upload Image दिखाई देगा। इसमें आवेदक को अपना फोटो-हस्ताक्षर सहित अटैच करना है। इस बटन के दाहिनी ओर आवेदक को फोटो-हस्ताक्षर के (प्रारूप हेतु इस लिंक्स) दिखाई देंगी। *Links.*को क्लिक करने पर फोटो हस्ताक्षर के फार्मेट का प्रिंट लेकर उचित स्थान पर फोटो चिपकाकर उसके नीचे हस्ताक्षर करें। इसके उपरांत उक्त फार्मेट को स्कैन कर jpg फार्मेट में ही सेव करें। अब आवेदक **Upload Image** बटन क्लिक करें इसके उपरांत जिस डायरेक्ट्री में आवेदक ने अपना फोटो हस्ताक्षर स्कैन कर सेव किया है। उस डायरेक्ट्री से अपना फोटो-हस्ताक्षर सिलेक्ट कर अटैच करें।

आवेदक फार्म को पूर्ण रूप से भरने के बाद उसे अच्छी तरह पढ़ लें और यह सुनिश्चित कर लें कि फार्म में जो भी जानकारी भरी गई हैं वह सही है। यदि फार्म में कोई गलत जानकारी भर दी गई है तो पुनः उसे ठीक कर लें। इसके उपरांत ही **Submit** बटन दबाएं। इससे आवेदक को एक आवेदन फार्म नंबर प्राप्त होगा। इसके उपरांत आवेदक परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए **Proceed to Payment** बटन दबाएगा तो उसे परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु निम्नानुसार ऑप्शन दिखाई देंगेः-

1. इंटरनेट बैंकिंग (सभी राष्ट्रीयकृत बैंक)
2. क्रेडिट कार्ड/ डेबिट कार्ड (मान्य कार्ड जैसे **Visa,Rupay,Master Card,Maestro card)**

इंटरनेट बैकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान - आवेदक चाहे तो स्वयं घर बैठे इंटरनेट या इंटरनेट कैफे के माध्यम से फार्म भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिग से कर सकता है। इसके लिए आवेदक के पास स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया अथवा युनियन बैंक ऑफ इण्डिया की नेट बैंकिग सुविधा होना अनिवार्य है। आवेदक फार्म भरने के उपरांत Proceed to Payment का बटन दबाएगा। यहां पर उसे इंटरनेट बैंकिग आप्शन दिखाई देखा। इसे क्लिक करने पर वह अपने बैंक द्वारा प्रदान यूजर आई डी पासवर्ड डालकर लागिन होगा। इस प्रक्रिया से आवेदक अपने बैंक अकाउंट से शुल्क का भुगतान कर सकता है। सफलता पूर्वक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आवेदक को स्क्रीन पर पावती नम्बर और आवेदक का विवरण दिखाई देगा। इसका प्रिंट लेकर रसीद अवश्य ले एवं संभालकर रखें।

क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान - आवेदक किसी भी इंटरनेट कैफे या घर बैठे भी स्वंय इंटरनेट के माध्यम से कम्प्यूटर द्वारा अपना फार्म भर सकता है। फार्म भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदक द्वारा फार्म भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के लिए Proceed to Payment का बटन दबाने पर कम्प्यूटर स्क्रीन पर आईसीआईसीआई बैंक का पैमेंट गेटवे दिखाई देगा। इसमें क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड का विवरण भरने के उपरांत कंफर्म बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान किया किया जा सकता है। आवेदक को परीक्षा शुल्क भुगतान प्रक्रिया सफलता पूर्वक पूर्ण होने के पश्चात कम्प्यूटराइज्ड रसीद प्राप्त होगी जिस पर उसकी ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारी अंकित होगी। आवेदक इस रसीद को संभालकर रखें।

सफलतापूर्वक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आवेदक को स्क्रीन पर पावती नंबर और आवेदक का विवरण दिखाई देगा। इसका प्रिंट लेकर रसीद अवश्य लें।

8. **एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म / परीक्षा शुल्क भरने की विधिः-**
आवेदक आवेदन फार्म भरने के लिए अपने नजदीकी एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर जाएगा। कियोस्क संचालक **https://www.mponline.gov.in** वेबसाइट ओपन कर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लागिन टाइप में कियोस्क

सिलेक्ट कर लागिन करेगा। इसके उपरांत सर्विसेज में जाकर एप्लीकेशन में MPPSC सिलेक्ट कर सर्वप्रथम फार्म भरने संबंधी निर्देश और जानकारियां आवेदक को उपलब्ध कराएगा। आवेदक इन्हें सावधानीपूर्वक पढ़ ले ताकि मांगी गई समस्त जानकारियॉ फार्म में सही भरी जा सकें। इसके उपरांत आवेदक कियोस्क संचालक को अपनी समस्त जानकारी उपलब्ध कराकर फार्म भरवा लें एवं साथ में अपना पासपोर्ट साइज का फोटो अवश्य ले जाएं। कियोस्क आवेदक का फोटो हस्ताक्षर स्कैन कर उचित स्थान पर अटैच करेगा। फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गईं समस्त जानकारियां अच्छी तरह पढ़ लें। आवेदक सभी जानकारियां सही-सही भरी होने के उपरांत ही कियोस्क संचालक को **Proceed to Payment** बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान करने का कहे। कियोस्क संचालक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर दो पृष्ठीय कम्प्यूटराइज्ड रसीद आवेदक को प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क और पोर्टल शुल्क की पूरी जानकारी अंकित रहेगी। साथ ही आवेदक से संबंधित पूर्ण जानकारी भी रसीद में अंकित होगी।

आवेदक इस रसीद को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और तथा अपने पास संभाल कर रखें।

जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का ही होगा।

9. यदि आवेदक के पास क्रेडिट कार्ड/ डेबिट कार्ड या नेटबैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है तो भरे गए फार्म का कियोस्क के माध्यम से Pay for unpaid Application/ Duplicate Receipt लिंक द्वारा परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर सकता हैः-

इसके लिए आवेदक को उपरोक्त बताए गए बिन्दु में दर्शाई गई विधि अनुसार फार्म भरने के उपरांत अपने नजदीक में स्थापित एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर जाकर भरे गए फार्म का आवेदन क्रमांक एवं अपनी जन्मतिथि कियोस्क संचालक को बताना होगा। इसके उपरांत कियोस्क संचालक **Pay for unpaid Application/ Duplicate Receipt** लिंक पर क्लिक कर उक्त जानकारियां भरकर फार्म ओपन कर लेगा। इसके उपरांत **Proceed to Payment** बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देगा। शुल्क भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्क संचालक आवेदक कम्प्यूटराइज्ड रसीद प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क और पोर्टल शुल्क की जानकारी के साथ आवेदक द्वारा भरी गई समस्त जानकारियॉं अंकित होंगी।

- आवेदकों से निवेदन है कि "ऑनलाइन आवेदन" की पावती पृष्ठ की प्रति भविष्य के लिए संभाल कर रखें।
- ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे जिन्हें ऑनलाइन भरने के बाद प्रिंट लेकर मप्र लोक सेवा आयोग द्वारा या एमपीऑनलाइन के पास डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जाएगा। परीक्षा शुल्क के लिए किसी भी प्रकार का ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा करने पर इन्हें मान्य न करते हुए निरस्त कर दिया जावेगा और उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही मानी जाएगी।

नोटः- यदि आपको ऑनलाइन फार्म में भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाए गए दूरभाष नंबरों पर तत्काल संपर्क करें -

एमपी ऑनलाइन लिमिटेड
निरुपम शापिंग मॉल
द्वितीय तल अहमदपुर
होशंगाबाद रोड,
भोपाल-422026 ,हेल्पलाइन - 0755-4019400

2. **अन्य निर्देश/जानकारी :-**

1 राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा में आवेदक का प्रवेश पूर्णतः प्रावधिक है, क्योकि आयोग ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ कोई भी प्रमाण पत्र यथा शैक्षणिक योग्यता/ जन्मतिथि/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछडा वर्ग/ मूल निवासी प्रमाण पत्र/ विधवा/ परित्यक्ता/ तलाकशुदा/ भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र आदि नहीं मांग रहा है । अतः ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न न करें । समस्त प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा हेतु सफल आवेदको द्वारा मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना है तथा साक्षात्कार के समय मूलतः प्रस्तुत करना है।

2 राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के लिए केवल अनुवीक्षण [Screening] परीक्षा होती है । उम्मीदवारों के अंतिम चयन में इस परीक्षा में प्राप्तांकों को नही जोड़ा जाएगा ।

3 राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा की अंकसूचियॉं जारी नहीं की जाती हैं ।

4 आयोग की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी ।

5 आवेदक को आयोग से पत्राचार करते समय अपना पूरा नाम, श्रेणी, परीक्षा का नाम, पंजीयन क्रमांक, अनुक्रमांक परीक्षा केन्द्र, पूर्ण पता तथा मोबाइल नंबर लिखना चाहिए ।

6 अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अंकित वर्तमान ई-मेल आई.डी. पर ही आयोग द्वारा आवश्यक होने पर पत्र-व्यवहार किया जाएगा । अभ्यर्थी के ई-मेल आई. डी. में परिवर्तन की दशा में अभ्यर्थी को तत्काल नए ई-मेल आई.डी. की सूचना आयोग को आवश्यक पत्र व्यवहार हेतु लिखित में देनी होगी। अभ्यर्थी द्वारा ई-मेल आई. डी. परिवर्तन की स्थिति में नए ई-मेल आई. डी. की सूचना न देने पर आवश्यक पत्र व्यवहार पुराने ई-मेल आई. डी. पर ही किया जाएगा जिसके फलस्वरुप आवेदक को पत्रादि प्राप्त न होने की स्थिति हेतु अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा इस संदर्भ में आवेदक का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा ।आवेदक अपने वर्तमान डाक पते में परिवर्तन के संबंध में भी आयोग को तत्काल लिखित में सूचना प्रेषित करे।

7 परीक्षा के समय परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष के अनुशासनिक व प्रशासनिक नियंत्रण में रहेंगे। अनुचित साधन का उपयोग या उपयोग करने का प्रयास, दी गई ओ.एम.आर. शीट एवं प्रश्न पत्र को क्षति पहुँचाना, धौंस डपट देना, शारीरिक क्षति पहुँचाना,

वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/ अधिकारियों के निर्देशों की अवमानना करना, दुर्व्यवहार, अपशब्दों का उपयोग, अशिष्ट आचरण,परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिका जमा न करना आदि को दण्डनीय माना जाएगा ।

8 **पहचान चिन्ह:-** ओ.एम.आर. शीट पर परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना अनुक्रमांक लिखें । यदि उम्मीदवार उत्तर पुस्तिका के अन्य किसी भाग पर अनुक्रमांक या अन्य अंकए अपना नाम या अन्य नाम या किसी प्रकार का चिन्ह लगाएंगे तो उसे पहचान चिन्ह बनाया माना जाएगा । ऐसे पहचान चिन्ह वाले प्रकरणों में आवेदक को नोटिस देना अनिवार्य नहीं होगा तथा बिना किसी सूचना के उसकी उम्मीदवारी तथा परीक्षा निरस्त की जा सकेगी ।

9 परीक्षा परिसर तथा साक्षात्कार कक्ष में मोबाइल फोन या अन्य संचारी यंत्र वर्जित है ।

10 उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि सभी स्थानों अर्थात उनके आवेदन पत्र, परीक्षा हाल में उपस्थिति सूची पर तथा आयोग के साथ किए गए समस्त पत्र व्यवहार में उनके व्दारा किए गए हस्ताक्षर एक समान होने चाहिए । इनमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिए यदि विभिन्न स्थानों पर उनके व्दारा किए गए हस्ताक्षरों में कोई अंतर पाया जाता है तो आयोग द्वारा उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है ।

11 आवेदक की अर्हता/पात्रता हेतु देखिए राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 के नियम 6 ,8, 9,10 एवं 12 तथा दंड/ शास्ति हेतु देखिए नियम 14

3. आवेदन की अंतिम तिथि:-

ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि **09.02.2022** है । अंतिम तिथि को रात्रि 12.00 के बाद आवेदन पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जाएगी ।

4. नियोक्ता की अनापत्ति:-

जो व्यक्ति पहले से शासकीय सेवक के रूप में स्थायी या अस्थायी रूप में काम कर रहे हों या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, (जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त व्यक्ति शामिल नही है) या जो सार्वजनिक उद्यमों में कार्यरत है, उनको यह अभिवचन [Under taking] (जैसा कि ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र की घोषणा में छपा है) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप में अपने कार्यालय विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस पद के लिए आवेदन किया है । उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को चयन के किसी भी स्तर पर उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने से संबंद्ध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है/उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

5. आवेदक को प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ कोई प्रमाण पत्र लगाने की आवश्यकता नही है। निम्नांकित समस्त प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अपलोड किए जाने आवश्यक होंगे ।

<u>आयु संबंधी प्रमाण के लिए</u> - केवल हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी अथवा मैट्रिक्यूलेशन की अंकसूची/प्रमाण-पत्र जिनमें जन्मतिथि का स्पष्ट उल्लेख हो, मान्य किया जाएगा ।

<u>शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र</u>- हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी तथा उसके बाद की उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें आवेदक ने उत्तीर्ण किया है । समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की सत्यापित अंकसूचियां। <u>**उपाधि संलग्न करना आवश्यक नहीं होगा**</u>।

<u>जाति प्रमाण-पत्र</u>- उच्चतर आयु सीमा में शिथिलीकरण अथवा अन्य किसी रियायत के लिए दावा करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त प्रमाण पत्र की छायाप्रति अपलोड करना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जो कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत है, अनुप्रमाणन पत्र के साथ अनिवार्यतः अपलोड करना चाहिए। विवाहित महिलाओं के मामले में उसके पिता के नाम का उल्लेख करने वाला जाति प्रमाण-पत्र ही स्वीकार किया जाएगा। अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के मामले में जाति प्रमाण पत्रों में यह प्रमाणन आवश्यक है कि आवेदक क्रीमी लेयर में नहीं आता है । जिन प्रमाणपत्रों में क्रीमीलेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे किसी भी प्रकार की छूट हेतु मान्य नहीं किए जाएंगे।अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रारूप में घोषणा.पत्र <u>(Declaration)</u> अपलोड करना होगा कि वे शासन द्वारा अभिनिर्धारित नवीनतम मापदंडों के अनुसार क्रीमी लेयर में नहीं आते:-

टीप: क्रीमीलेयर में आने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी अनारक्षित अभ्यर्थी के रूप में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें।

<u>**घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप**</u>

मैं --------------------- आयोग के विज्ञापन क्रमांक <u>11/2021 दिनांक 22.12.2021</u> के अंतर्गत आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा/रही हूं। मैं निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूं

1. मै ------------------पुत्र/पुत्री श्री-------------------- निवासी ग्राम/ कस्बा/ शहर/-------------जिला ------------,मध्य प्रदेश का/ की मूल निवासी हूं। यह घोषणा करता/ करती हूं कि मै ---------------जाति का/की सदस्य हूं जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी में आरक्षण के लिए अधिसूचित है।
2. मै शपथ पूर्वक यह भी घोषणा करता/ करती हूं कि आवेदन की अंतिम तिथि तक मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा इस संदर्भ मे जारी अद्यतन परिपत्र में निर्धारित मापदंडों के अनुसार, मै सम्पन्न वर्ग अर्थात क्रीमीलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/ आती हूं।

दिनांक :- -----------------

हस्ताक्षर..............................

नाम.......................................

यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय मूल जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति मूलतः प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो उसकी अभ्यर्थिता अस्वीकृत कर दी जाएगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। इस संबंध में अभ्यर्थी के किसी वचन पत्र अथवा अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाएगा। वांछित प्रमाण.पत्रों के अभाव में किसी शिथिलीकरण/ रियायत की पात्रता के बारे में विचार नहीं किया जाएगा।

शासकीय सेवको/भूतपूर्व सैनिकों को देय छूट हेतु नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र ।

अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत देय छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र ।

विक्रम पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों को देय छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण पत्र ।

महत्वपूर्ण टीप :- उपरोक्त में से आवेदक द्वारा प्रस्तुत सत्यापित प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतिया साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

6. **कदाचरण और उसके लिए कार्यवाही:-** कोई अभ्यर्थी, जो आयोग द्वारा निम्नलिखित का दोषी पाया जाता है:-

01 जिसने अपनी अभ्यर्थिता के लिए लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो या वैसा करने का प्रयास किया हो, या

02 प्रतिरूपण किया हो; या

03 किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या

04 कूटरचित दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किए हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या

05 ऐसे कथन किए हो जो गलत और झूठे हों या जिनमें चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छिपायी हो, या

06 परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन का आश्रय लिया हो, या

07 परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या

08 परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृन्द को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या

09 उनके प्रवेश-पत्र में अभ्यर्थियों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या अन्य निर्देशों, जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृन्द द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित हैं, अतिक्रमण किया हो, या

10 परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या

11 परीक्षा समाप्त हो जाने के पश्चात् यदि अभ्यर्थी कर्तव्यरत अधीक्षणकर्ता (इनविजिलेटर) के पास उसकी ओ.एम.आर. शीट जमा करने में असफल रहता है या ओ.एम.आर. शीट को क्षति पहुंचाता है, या

12 परीक्षा के पूर्व किसी भी रीति से प्रश्नपत्र अभिप्राप्त करता है या उसके लिए प्रयास करता है, तो आयोग-

(एक) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है निरर्ह ठहरा सकेगा और/या उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा, ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।

(दो) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा मे हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुशंसा की जाएगी।

(तीन) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरूद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

एवं तब शासन द्वारा उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा । **ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें किसी भी चयन संस्था द्वारा विशिष्ट कालावधि हेतु भर्ती परीक्षा हेतु विवर्जित किया गया है उस कालावधि हेतु आवेदन करने हेतु अपात्र रहेगें।**

7. **प्रवेश पत्र** -

01 अभ्यर्थी को राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, यदि:-

(क) वह, आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र धारण न करता हो, और

(ख) वह, आयोग द्वारा जारी विज्ञापन/ प्रवेश-पत्र में उल्लिखित फोटो परिचय-पत्रों की कोई एक मूल फोटो परिचय-पत्र धारण न करता हो, और

(ग) आयोग द्वारा जारी किए गए प्रवेश-पत्र के संलग्न फोटो से उसके चेहरे का मिलान न होता हो, और

(घ) आयोग द्वारा जारी किए गए प्रवेश-पत्र में उल्लिखित नाम एवं फोटो का, आयोग द्वारा विहित उसके द्वारा लाए गए फोटोयुक्त परिचय-पत्र में उल्लिखित नाम एवं फोटो से मिलान न होता हो।

02 प्रवेश पत्र व्यक्तिगत रूप से नहीं भेजे जाएंगे । प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट www.mppsc.com एवं www.mppsc.nic.in तथा https/: www.mponline.gov.in पर दिनांक 15.04.2022 से तक उपलब्ध होंगे । आवेदको

को वेबसाइट से ही परीक्षा के प्रवेश पत्र प्राप्त करना होंगे । इस संबंध में किया गया कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा। प्रवेश पत्र एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से डाउनलोड करने पर पांच रूपए पोर्टल शुल्क देय होगा।

03 यदि प्रवेश पत्र प्राप्त करने में कोई समस्या आती है तो आयोग अथवा एम.पी. ऑनलाइन से संपर्क करें ।

04 यदि किसी आवेदक का नाम नामिनल रोल में सम्मिलित नहीं है परन्तु उसे प्रवेश पत्र प्राप्त हो चुका है तो वह केन्द्राध्यक्ष से मिलकर अपना प्रवेश पत्र प्रस्तुत करें । केन्द्राध्यक्ष संतुष्ट होने पर उसे उसी केन्द्र पर परीक्षा में सम्मिलित करेंगे ।

05 अत्यंत महत्वपूर्ण - आवेदक कृपया ध्यान रखें कि परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश पत्र के साथ निम्न मान्य मूल फोटो युक्त पहचान प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने एवं उससे आवेदक की पहचान की पुष्टि होने के पश्चात ही परीक्षा देने की अनुमति मिलेगी:-

1	आधार कार्ड	6	शासकीय सेवक के मामले में नियोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र
2	मतदाता पहचान पत्र	7	बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस की फोटोयुक्त पासबुक
3	ड्रायविंग लायसेंस	8	शैक्षणिक संस्थान द्वारा अधिकतम तीन वर्ष पूर्व तक जारी परिचय पत्र
4	पैन कार्ड	9	राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित नवीनतम फोटो परिचय पत्र
5	पासपोर्ट		

परीक्षाओं में सफल आवेदकों को साक्षात्कार के समय भी फोटोयुक्त पहचान पत्र की मूल प्रति तथा एक स्वप्रमाणित छायाप्रति लेकर साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना है। फोटो परिचय पत्र द्वारा आवेदक की पहचान की पुष्टि न होने पर आवेदक को साक्षात्कार देने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

06 आयोग व्दारा अंतिम चयन सूची जारी किए जाने के पश्चात् लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार की संयुक्त अंक सूची आवेदकों को ऑनलाइन उपलब्ध करायी जाएगी। आयोग व्दारा पहचान चिन्ह प्रकरण एवं अनुचित साधन प्रयोग करने वाले आवेदकों की परीक्षा निरस्त की जाएगी । अतः ऐसे आवेदकों की अंक सूची ऑनलाइन उपलब्ध नही कराई जाएगी।

07 विज्ञापित पदों का अग्रमान्यता पत्रक साक्षात्कार के समय आवेदकों से प्राप्त किया जाता है तथा इसी अग्रमान्यता पत्रक के अनुसार गुणानुक्रम में आवेदकों का चयन किया जाता है । आवेदकों द्वारा अग्रमान्यता पत्रक प्रस्तुत करने के पश्चात् उसमें परिवर्तन/संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही इस संबंध में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जाएगा । अत: अभ्यर्थी को यह सलाह दी जाती है कि वे अग्रमान्यता पत्रक भरते समय विशेष सावधानी बरतें।

08 मध्यप्रदेश के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो पद आरक्षित किए गए है ऐसे आवेदक जो स्वयं भूतपूर्व सैनिक हो (भूतपूर्व सैनिक पर आश्रित आवेदक मान्य नहीं होंगे) उन्हें भूतपूर्व सैनिक के डिस्चार्ज सर्टिफिकेट (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में) अभिवचन पत्र तथा मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है । नमूना निम्नानुसार है:-

अभिवचन **(Undertaking)** का प्रारूप

मैंने राज्य वन सेवा परीक्षा-2021 के विज्ञापन क्रमांक 11/2021 दिनांक 22.12.2021 के अंतर्गत आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत किया है तथा मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। अतः भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित पद के विरुद्ध मुझे भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत मान्य किया जाए। भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण-पत्र संलग्न है।

हस्ताक्षर...............................
नाम.....................................
रोल नंबर ....

(उक्त अभिवचन पत्र एवं प्रमाण-पत्र मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अपलोड करें)

8 राज्य वन सेवा परीक्षाओं के पश्चातवर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक निर्देश :-

(अ) राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा

01. राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम केवल "रोजगार और निर्माण" समाचारपत्र तथा आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in, www.mppsc.com पर प्रकाशित किया जाएगा। आवेदक को उसके परीक्षा परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जावेगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जाएगा।

02. राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परीक्षा परिणाम के साथ ही मुख्य परीक्षा के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएँ प्रकाशित की जावेगी। अत: सफल आवेदक उनके परीक्षा परिणाम के साथ ही मुख्य परीक्षा से संबंधित समस्त सूचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उसमें प्रदत्त अनुदेशों के अनुरूप मुख्य परीक्षा का आवेदन पत्र राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा परिणाम में उल्लेखित मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि तक जमा करें तथा अपनी पात्रता आए संबन्धित सभी अभिलेख अपलोड करें।

03. मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक मुख्य परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन जमा न करने पर आवेदक की उम्मीदवारी

समाप्त हो जावेगी तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में आवेदक को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जाएगी तथा इस संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों को बिना विचार किए नस्तीबद्ध किया जाएगा।

(ब) राज्य वन सेवा (मुख्य) परीक्षा

01. राज्य वन सेवा (मुख्य) परीक्षा का परिणाम केवल "रोजगार और निर्माण" समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in, www.mppsc.com पर प्रकाशित किया जाएगा। आवेदक को उसके परीक्षा परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जाएगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जावेगा।

02. राज्य वन सेवा (मुख्य) परीक्षा के परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएँ प्रकाशित की जावेगी। परीक्षा परिणाम में ही साक्षात्कार हेतु अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि भी निर्धारित रहेगी। अभ्यर्थी निम्नानुसार निर्धारित अंतिम तिथि तक अभिलेख आयोग को प्रेषित करेंगे।

अ आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in, www.mppsc.com में "Download Format" लिंक पर उपलब्ध कराए गए अनुप्रमाणन-पत्रक, व्यक्तिगत विवरण-पत्रक तथा उपस्थिति पत्रक Download करें।

ब अनुप्रमाणन-पत्रक, व्यक्तिगत विवरण-पत्रक तथा उपस्थिति पत्रक की प्रविष्टियों की पूर्ति करें। एक सेट के साथ अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा के आवेदन-पत्र तथा निम्नांकित अभिलेखों छायाप्रतियां अधोलिखित क्रम में अनिवार्यतः संलग्न करें:-

1. मुख्य परीक्षा का आवेदन पत्र
2. प्रारंभिक परीक्षा का आवेदन पत्र
3. हाईस्कूल/ हायर सेकेण्डरी तथा उसके बाद की उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें आवेदक ने उत्तीर्ण किया है एवं समस्त वर्षो/ सेमेस्टर्स की अंकसूचियां।
4. मूल निवास/स्थानीय निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, अपिव के अभ्यर्थियों के क्रीमीलेयर में न आने संबंधी घोषणा पत्र (केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों हेतु)
5. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण-पत्र की प्रति।
6. भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण-पत्र की प्रति।
7. अनुप्रमाणन-पत्रक की तीन मूल प्रति प्रस्तुत करें।
8. व्यक्तिगत विवरण-पत्रक की एक मूल प्रति एवं 05 छायाप्रति प्रस्तुत करें।
9. उपस्थिति पत्रक की एक मूल प्रति साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करें।
10. पहचान प्रमाण-पत्र हेतु आधार कार्ड की प्रति।
11. अन्य अनुसंगत अभिलेख ।

स उक्त अभिलेखों के सेट की एक प्रति स्वप्रमाणित एवं हस्ताक्षरित कर निर्धारित अंतिम तिथि तक आयोग को निम्नांकित पते पर प्रस्तुत करें -

सचिव,
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग,
रेसीडेंसी एरिया,
इंदौर, मध्यप्रदेश 452001

03. केवल उन्ही अभ्यार्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित किया जाएगा जिन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए गए अभिलेखों के सूक्ष्म परीक्षण के पश्चात अर्ह पाया जाएगा।

9 **परीक्षा हेतु वर्जित वस्तुएँ** :- परीक्षा कक्ष में प्रवेश के पूर्व पुलिस / केंद्र पर तैनात अधिकारी/कर्मचारी द्वारा तलाशी (Frisking) की जाएगी। जिससे कि परीक्षार्थी अपने साथ किसी भी प्रकार की वर्जित वस्तुएं अन्दर न ले जा सके ।

सामान्यतः परीक्षाओं में ऐसा पाया गया है कि परीक्षार्थी अपने कपड़ों, कफलिंक, चश्मा, जूते.मोज़े, हाथ के बैंड, हाथ के बंधे बंधन इत्यादि में नाना प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग करते हैं। अतः परीक्षा में किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के उपयोग को रोकने के लिए परीक्षा कक्ष में जूते-मोजे पहनकर प्रवेश वर्जित होगा। परीक्षार्थी चप्पल व सैंडल पहनकर आ सकते हैं । चेहरे को ढंककर परीक्षा कक्ष में प्रवेश वर्जित होगा। एसेसरीज जैसे बालों को बांधने का क्लचर/ बक्कल, घड़ी, हाथ में पहने जाने वाले किसी भी प्रकार के बैंड, कमर में पहने जाने वाले बेल्ट, धूप में पहने जाने वाले चश्मे, पर्स, वालेट, टोपी वर्जित हैं।

सिर, नाक, कान, गला, हाथ, पैर, कमर में पहने जाने वाले सभी प्रकार के आभूषण तथा हाथ में बंधे धागे/ कलावा/ रक्षा सूत्र आदि का सूक्ष्मता से परीक्षण कर वीक्षकों द्वारा परीक्षार्थी के कक्ष में जाने के पूर्व तलाशी ली जाएगी ।

10. यात्रा व्यय का भुगतान -

(अ) मध्य प्रदेश के ऐसे मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को कहीं सेवारत नहीं है, मध्य

प्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेखित वर्तमान पते के शहर/ग्राम से उन्हें आवंटित परीक्षा शहर तक आने जाने के यात्रा व्यय का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केंद्र पर केंद्राध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। आवेदकों को इसके लिए केंद्राध्यक्ष को वांछित घोषणा पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबंधित निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना होगा:-

1. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
2. यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी तथा किराए की राशि का स्पष्टत: उल्लेख हो ।

(द) **अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता क्रमांक तथा बैंक के IFSC Code का उल्लेख करना तथा साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्केन प्रति आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।**

(इ) यात्रा व्यय भुगतान की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी अपने वर्तमान पते के निकटतम शहर को प्रथम विकल्प के केंद्र के रूप में चुनें।

(फ) जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने हेतु देय यात्रा भत्ता का ऑनलाइन भुगतान प्राप्त नहीं होता है वे इस संदर्भ में कलेक्टर/ कमिश्नर कार्यालय से पत्र व्यवहार करें। इस संदर्भ में आयोग से कोई पत्र व्यवहार न करें। इस संदर्भ में आयोग में प्राप्त पत्र बिना किसी कार्यवाही के नस्तीबद्ध किए जाएंगे।

(ज) साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।